(35) (169)

दिनाँक 15/05/2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मा0 कुलपति जी से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार हेतु गठित समिति (कार्यालय आदेश संख्या यू0ओ0यू0/आर1/567, दिनांक–14/05/2019) की बैठक, आज दिनाँक 15/05/2019 को निदेशक, मानविकी विद्याशाखा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहें–

01– प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल– निदेशक, मानविकी विद्याशाखा।	(अध्यक्ष)
02– प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र– निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा	(सदस्य)
03– प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे– निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें	(सदस्य सचिव)
04– प्रोफेसर पी0डी0 पन्त – परीक्षा नियंत्रक	(सदस्य)
05– श्रीमती आभा गर्खाल– वित्त नियन्त्रक	(सदस्य)
06– श्री भरत सिंह– कुलसचिव	(सदस्य)

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया और निम्नवत अनुशंसा की गई–

बिन्दु संख्या– 01– विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अध्ययन केन्द्र स्मार्ट स्किल को शेयर अंश भुगतान के सम्बन्ध में–

बैठक में सम्यक विचारोपरान्त यह अनुशंसा की गई कि अध्ययन केन्द्र स्मार्ट स्किल (केन्द्र कोड़–16026) और विश्वविद्यालय के मध्य नवीन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत समझौता ज्ञापन पत्र (एम0ओ0यू0) हस्ताक्षरित नही हुआ है इसलिए उक्त अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा शेयर अंश का भुगतान पूर्व में हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 की शर्तों (अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक मापदण्ड एवं सामान्य नियम, 2016 से पूर्व में लागू नियमावली) के अन्तर्गत किया जाए।

बिन्दु संख्या–02– अध्ययन केन्द्र नियमावली–2013 के आलोक में आदर्श अध्ययन केन्द्र की पुनर्संरचना कर वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में–

बैठक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई कि–

- विश्वविद्यालय के आदर्श अध्ययन केन्द्रों का गठन अध्ययन केन्द्र स्थापना सम्बन्धी नियमावली मानक मापदण्ड एवं सामान्य नियम, 2016 के प्रावधानो के अन्तर्गत गठन किया जाय।
- आदर्श अध्ययन केन्द्रों के लिए एक पृथक से बैंक खाता खोला जाय जिसका संचालन वित्त नियन्त्रक द्वारा किया जाय।
- अध्ययन केन्द्रों के समन्वयक/सहायक समन्वयक, कार्यालय सहायक, अनुसेवक आदि को मानदेय अध्ययन केन्द्र नियमावली, 2016 के अनुसार दिया जाय।
- समिति द्वारा इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुलग्नक X (6) के आलोक में आदर्श अध्ययन केन्द्रों का सुदृढ किया जाना आवश्यक है। इस हेतु विश्वविद्यालय में आदर्श अध्ययन केन्द्र हेतु स्वतंत्र आधारभूत ढाँचा विकसित किया जाय, जहाँ प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों
- अध्ययन केन्द्र का संचालन निदेशक, क्षेत्रीय सेवाओं के अधीन, अध्ययन केन्द्र समन्वयकों के द्वारा किया जाय।

- अध्ययन केन्द्र समन्वयक की नियुक्ति न्यूनतम 02 वर्ष एवं अधिकतम 03 वर्ष के लिए की जा सकती है। असाधारण परिस्थितियों में यह अवधि कुलपति द्वारा कम या ज्यादा की जा सकती है।
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक व सहायक समन्वयक की कार्यावधि चक्रानुक्रम से की जायेगी।

बिन्दु संख्या–03– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा) विनियम, 2017 के मानको को पूर्ण न करने वाले बंद किये गये अध्ययन केन्द्रों के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में–

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के प्रावधानों के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा अनेक अध्ययन केन्द्र बंद कर दिये गये है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों द्वारा सत्र 2018–19 (ग्रीष्म कालीन) में पंजीकृत विद्यार्थी, जो कि वर्तमान में अन्य अध्ययन केंन्द्रो में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं से सम्बन्धित शेयर अंश भुगतान के सम्बन्ध में समिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि ऐसे अध्ययन केन्द्रों का उनके शेयर 15 प्रतिशत अंश का भुगतान कर दिया जाय। यह प्रक्रिया उन अध्ययन केन्द्रो के लिए लागू होगी जो शेयर आधारित अध्ययन केन्द्र नियमावली (अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक मापदण्ड एवं सामान्य नियम, 2016 से पूर्व की नियमावली से स्थापित एवं नवीनीकृत अध्ययन केन्द्र) से संचालित किये जा रहे थे।
- अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक मापदण्ड एवं सामान्य नियम, 2016 के अन्तर्गत स्थापित एवं नवीनीकृत अध्ययन केन्द्रों के सन्दर्भ में समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि ऐसे अध्ययन केन्द्रों को नियमावली, 2016 में निर्धारित दरों के अनुसार 31 दिसम्बर 2018 तक का भुगतान कर दिया जाए।

बिन्दु संख्या–04– अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम, 2016 के अनुलग्नक–01 में प्रमोशनल एक्टिवीटीज "शीर्ष" के अन्तर्गत धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में–

समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों के आलोक में अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय की गतिविधियों के प्रचार प्रसार तथा प्रवेश पूर्व काउन्सिलिंग आदि छात्र सहायता सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए "प्रमोशनल एक्टिविटी" नाम से अतिरिक्त शीर्ष की व्यवस्था की जाय और इस हेतु 200 तक पंजीकृत छात्र संख्या वाले अध्ययन केन्द्रों को रूपया 10000.00 (रूपया दस हजार मात्र) एवं 200 से अधिक पंजीकृत छात्र संख्या वाले अध्ययन केन्द्रों को रूपया 15000.00 (रूपया पन्द्रह हजार मात्र) वार्षिक धनराशि आवंटित की जाय। इस व्यय के सापेक्ष सत्यापित प्रमाणिक प्रस्तुत करने होगें।

बिन्दु संख्या 05–अन्य प्रसंग

- वित्त समिति द्वारा मद संख्या 12.12 पर लिये गये निर्णय– आफलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों के पुष्टिकरण/अग्रसारण, पुस्तक वितरण एवं सत्रीय कार्य अंक की साफ्टवेयर में प्रविष्टि आदि हेतु क्रमश रूपया 5 तथा 0.50 (पैसे) प्रति विषय के आधार पर निर्धारित दरों पर समिति द्वारा चर्चा की गई। **(प्रति विषय शब्द को संशोधित कर प्रति प्रश्नपत्र किया जाना आवश्यक है)** समिति ने सुझाव दिया कि वर्तमान में लागू नियमावली अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड एवं सामान्य नियम, 2016 में कार्यालय सहायकों को दिये जाने वाला मानदेय अत्यधिक कम है। प्रवेश आवेदन पत्रों की पुष्टि, अंकन, सत्रीय कार्य अंकन आदि के मध्यनजर उक्त धनराशि को कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अग्रसारण धनराशि के समतुल्य किया जाना युक्ति संगत होगा।

- दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा को बढावा दिये जाने, जी0ई0आर0 अनुपात बढाये जाने तथा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली के प्रचार प्रसार हेतु क्षेत्रीय सेवा निदेशालय के अन्तर्गत बैठकों का आयोजन राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में किये जाने पर भी अनुशंसा समिति द्वारा की गई।
- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के अन्तर्गत – समिति द्वारा विश्वविद्यालय एंव क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में आयोजित होने वाली बैठक/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययन केन्द्र समन्वयकों, सहायक समन्वयकों एवं कार्यालय सहायकों के प्रतिभाग किये जाने पर उन्हे विश्वविद्यालय नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

(प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल)
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा

(प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र) 16/5/19
निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा

(प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे)
निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें

(प्रोफेसर पी0डी0 पन्त)
परीक्षा नियन्त्रक

(श्रीमती आभा गर्खाल) 16/05/2019
वित्त नियन्त्रक

16/05/19
(श्री भरत सिंह)
कुलसचिव
Registrar

(माननीय कुलपति)
प्रतिहस्ताक्षरित 17.5.19